

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

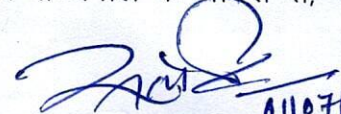
—: अधिसूचना :-

सं०—खाद्य (निदे०) प्र०—I—63/2025 1307

पटना, दिनांक— 1-7-2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CIVIL APPEAL NO 9982 OF 2024 (Arising out of SLP (C) No. 25612 of 2023) GANESH KUMAR RAJESHWAR RAO SELUKAR AND ORS VERSUS MAHENDRA BHASKAR LIMAYE AND ORS में दिनांक 21.05.2025 को पारित न्यायादेश एवं श्री कृष्ण प्रताप सिंह, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर के द्वारा दिनांक 22.05.2025 को दिये गए अभ्यावेदन पर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री कृष्ण प्रताप सिंह को इनके सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 05.07.2025 से उक्त आयोग में अध्यक्ष के पद पर अगले आदेश तक (अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने तक) सेवा विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

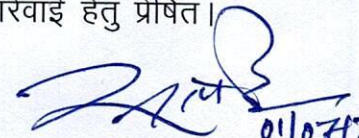

(सत्येन्द्र नारायण सिंह) 01/07/2025

सरकार के अवर सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— खाद्य (निदे०) प्र०—I—63/2025 1307

खाद्य, पटना/दिनांक 1-7-2025

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव। 01/07/2025

ज्ञापांक:— खाद्य (निदे०) प्र०—I—63/2025 1307

खाद्य, पटना/दिनांक 1-7-2025

प्रतिलिपि:— आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव। 01/07/2025